न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/61/2020	2020/152	07/09/2020	13.06.2022

1. पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय प्लॉट नं0–04, सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली–110075, शाखा कार्यालंय आई.ई.टी कॉलेज, एम.आई.ए. अलवर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती कान्ता बाई पत्नि श्री योगेश कुमार, निवासी मकान नं0 1/474, अरावली विहार, काला कुंआ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)–301001

2- श्री योगेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी मकान नं0 1/474, अरावली विहार, काला कुंआ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)–301001

–अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल ऋण 17,25,000/–रूपये (Rupees Seventeen Lakh Tweenty Five Thousand Rupee Only) जो दिनांक 07.12.2013 को (A/c No. 626600NC00000184 Rs. 12,25,000/- एवं दिनांक 19.03.2015 A/c No. 6266009900000071 Rs. 5,00,000/-) को उपलब्ध कराई थी, जिसमें दिनांक 31.12.2019 को (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज) सहित (A/c No. 626600NC00000184, Rs. 11,69,753/- एवं दिनांक 31.12.2019 A/c No. 6266009900000071, Rs. 4,95,622.01/-) जो दिनांक 31.12.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज) सहित कुल 16,53,375.01/–रूपये (Rupees Sixteen Lakh Fifty Three Thousand Three Hundred Seventy Five Rupee And One Paisa Only) है, की अदायगी नही की गई। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति **श्रीमती कान्ता बाई पत्नि श्री योगेश कुमार का आवासीय मकान जो कि मकान नं0 01/473, जो कि दक्षिण पश्चिम ब्लॉक, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड अलवर में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 35.88 वर्गगज है। जिसकी सीमाऐं कमशः उत्तर में:– सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण में:– हाउसिंग बोर्ड के मकान, पूर्व में:– मकान नं0 1/472, पश्चिम में:– मकान नं0 1/474** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **श्रीमती कान्ता बाई पत्नि श्री योगेश कुमार का आवासीय मकान जो कि मकान नं0**

जिला कलक्टर अलवर

01/473, जो कि दक्षिण पश्चिम ब्लॉक, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड अलवर में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 35.88 वर्गगज है। जिसकी सीमाऐं क्रमशः उत्तर में:— सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण में:— हाउसिंग बोर्ड के मकान, पूर्व में:— मकान नं0 1/472, पश्चिम में:— मकान नं0 1/474 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:—

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तों उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा—31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर